तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/1340/2014/अलवर इलियास बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर , सदस्य उपस्थितः– श्री शशिकान्त जोशी, अभिभाषक प्रार्थी श्री शंकरलाल चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक निर्णय दिनांक 12–9–2022 हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना–पत्र खारिज किया है । प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा निगरानी मीमों अंकित तथ्यों पर बहस में तर्क दिया प्रार्थी को ग्राम नीमली तहसील तिजारा का विवादित भूमि का पट्टा दिनांक 6–2–1990 को जारी किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष किसी व्यक्ति जीवनखाँ द्वारा प्रस्तुत की गई । जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा आदेश दिनांक 10–8–2000 द्वारा तहसील तिजारा के ग्रामों की आराजीयात को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत राजकीय जनोपयोगी प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–10–2013 से खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध रिव्यू प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 4–2–2014 से खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उनका कथन है कि जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत पारित आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपील को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया । जिसके विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना–पत्र भी उनके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/1340/2014/अलवर इलियास बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था। प्रश्नगत प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को स्वयं के क्षेत्राधिकार में नहीं माना है जबकि दोनों में ही पोषणीयता एवं मेन्टेनेलबिलिटी को तय नहीं किया गया है और ये दोनों निर्णय सही विधि स्पष्ट नहीं करते है। उनका कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी की निजी खातेदारी की आराजी है जो न्यायिक दृष्टांत 2012 आर.बी.जे. पृष्ठ 316 के परिप्रेक्ष्य में सेट अपार्ट नहीं की जा सकती है इसके अतिरिक्त आर.आर.टी. 2002(1) आर.आर.टी. पृष्ठ 383 में भी सेट अपार्ट का आदेश धारा 75 भू राजस्व अधिनियम में अपील योग्य माना है। इसी प्रकार आर. एल.डब्ल्यू 2006(2) पृष्ठ 740, आर.एल.डब्ल्यू 2009(2) पृष्ठ 742 मेंभी सेट अपार्ट का आदेश अपील योग्य होकर निर्णित किया गया है। अंत में उनका यह भी कथन है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां पोषणीय है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कियदि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां पोषणीय है तो यदि प्रकरण वहाँ भेजा जाता है तो उन्हें इस बाबत कोई आपत्ति नहीं है हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा दिनांक 10-8-2000 को तहसील तिजारा के विभिन्न ग्रामों में सिवाय चक भूमि के प्रस्ताव अनुसार भूमि मौके पर खाली एवं सिवाय चक भूमि है जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत राजकीय/जनोपयोगी/प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जाता है । उक्त आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण दिनांक 28-10-2013 को खारिज की गई जिसके विरूद्ध रिव्यू प्रस्तुत होने पर वह भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/1340/2014/अलवर इलियास बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 4–2–2014 को खारिज की गई। हस्तगत प्रकरण में मुख्य प्रश्न यही है कि जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके लिए अपीलीय न्यायालय कौन होगा । इस संबंध में डी.एन.जे. 2021(1) (Rev)पृष्ठ 601 के पैरा नंबर 10 पर यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि पूर्व में कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी लेकिन बाद में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा उक्त प्रथम अपील संभागीय आयुक्त के न्यायालय में पोषणीय होगी । इसी प्रकार आर.आर. टी. 2002(1) आर.आर.टी. पृष्ठ 383 में भी सेट अपार्ट का आदेश धारा 75 भू राजस्व अधिनियम में अपील योग्य तथा आर.एल.डब्ल्यू 2006(2) पृष्ठ 740, आर.एल.डब्ल्यू 2009(2) पृष्ठ 742 मेंभी सेट अपार्ट का आदेश अपील योग्य होकर निर्णित किया गया है। इस संबंध में यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उभय पक्ष ने प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने में सहमति व्यक्त की है । अतः उक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किए बगैर निगरानी को निर्णित किया जाता है। राजस्व अपील अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 4–2–2014 को निरस्त किया जाता है। उभय पक्षकारान सक्षम न्यायालय संभागीय आयुक्त, अलवर के समक्ष चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/1340/2014/अलवर इलियास बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए